न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः–वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10 / 2025	11.03.2025	24.03.2026

जाकिर पुत्र गफूर खान जाति मुसलमान निवासी छाण तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री धर्मेन्द्र कुमार चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री अंजनी तेहरिया, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह है कि उक्त शीर्षकीय वाद पत्र आज ही श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें सफलता प्राप्ति की पूरी–पूरी सम्भावना हैं।
- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1460/8 रकबा 1 बीघा बारानी 3 जो खाता संख्या पुराना 519 तथा खाता संख्या नया 525 में दर्ज है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1449/8 रकबा 1 बीघा बारानी 3 वांके ग्रम छाण जो खाता संख्या 136 तथा नया खाता संख्या 136 में दर्ज है। जिसका प्रार्थी खातेदार एवम् काबिज चला आ रहा हैं।
- यह है कि मूल खसरा नं0 8 कुल रकबा 132 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम छाण में है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारान की खातेदारी की भूमि है, 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी भूमि है, 36 बीघा 3 बिस्वा भूमि वन विभाग की भूमि है, 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मदरसे की भूमि है तथा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि चरागाह है जिसमें कब्रिस्तान, मजारात एवम् मकबरे बने हुये है मौके पर चरागाह भूमि किसी भी स्थान पर खाली नही है फिर भी अप्रार्थी द्वारा अपनी हठधर्मिता अपनाते हुये प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। [illegible] पर से कब्रिस्तान, कबे मजार हटाने पर आमादा है। उक्त खुलासा [illegible] की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 में हुआ है उक्त [illegible] प्रति वाद पत्र के साथ [illegible] हैं ।
- यह है कि प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजीयात में वर्तमान में सरसो की फसल काश्त की है तथा उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा हैं एवम् मौके पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

का कब्जा हैं। अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे की उक्त आराजीयात जो उक्त दोनो खातों में अंकित है की भूमि की तरमीम एवम् उक्त भूमि को किसी अन्य विभाग को देने की तैयारी में है। जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनांक 03.03.2025 को अप्रार्थी एवम् उसके कर्मचारियों ने आकर धमकी दी कि प्रार्थी उक्त आराजीयात में अपनी तार फेन्सिग कर रखी है उसको भी हटा ले। क्योंकि अप्रार्थी उक्त भूमि पर जी.एस. एस. के लिये जमीन देना चाहते है। इस पर प्रार्थी ने कहा कि आप मेरी खातेदारी एवम् कब्जे की भूमि पर जीएसएस निर्माण की स्वीकृति कैसे दे सकते है और प्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे की उक्त आराजीयात से कैसे बेदखल कर सकते है। लेकिन अप्रार्थी एवम् उसके कर्मचारी उक्त आराजीयात से प्रार्थी का कब्जा हटा कर जीएसएस को उक्त भूमि देकर उक्त आराजीयात के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने पर आमादा हैं। इसलिये प्रार्थी को यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया ।

- यह है कि प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण लेकर अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि अप्रार्थी प्रार्थी के खातेदारी एवम् कब्जे की आराजीयात जो वाद पत्र के मद नं0 2 में अंकित है से प्रार्थी का कब्जा ना हटावें तथा प्रार्थी के उक्त आराजीयात के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध ना तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अपने किसी कर्मचारी से ऐसा करावें तथा प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे की उक्त आराजीयात के नक्शा ट्रेस में किसी भी प्रकार की तरमीम या तनसीख न करें। यदि अप्रार्थी व उसके कर्मचारी प्रार्थी की उक्त आराजीयात को दौराने दावा किसी भी प्रकार से जीएसएस को देने में सफल हो जावें या प्रार्थी के खातेदारी एवम् कब्जे एवम् तार फेन्सिग में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करने में सफल हो जावें या उक्त आराजीयात के नक्शा ट्रेस में तरमीम व तनसीख करने में सफल हो जावें तो उस सूरत में अप्रार्थी को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा (मेन्डेटरी इन्जेक्शन) से पाबन्द करावें कि वे दावा पेश करने की उक्त आराजीयात की स्थिति को पुनः बहाल करें।
- यह है कि प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थी का एक प्रबल प्राईमा फेसी केस है तथा सुख सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थी को प्रार्थीकी खातेदार एवम् कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात से तार फेन्सिग है उस पर से कब्जा हटाने मे एव[illegible]न्सिग को हटाने महदूद में तथा उक्त आराजीयात की नक्शा शी[illegible] तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका अंकन [illegible] सकता इसलिये तीनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है इसलिये विपक्षी को जरिये अ[illegible]यी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना अति–आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में अंकित आराजीयात पर विपक्षी किसी भी प्रकार से प्रार्थी की खातेदारी एवमृ कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

मजाहमत व मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी अन्य दीगर व्यक्ति से ऐसा करावें । विपक्षी प्रार्थी की तारफेन्सिग को यथावत रहने दें तथा उक्त आराजीयात की नक्शा शीट में तरमीम ना करने के लिये पाबन्द फरमाया जाना अति आवश्यक हैं।

- अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में अंकित आराजीयात के कब्जे काश्त में विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत ना तो स्वयं करें ना ही अपने कर्मचारियों से ऐसा करावें । तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात की तारफेन्सिग को यथावत रहने दें तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नक्शा ट्रेस शीट में दावे के निस्तारण तक किसी भी प्रकार की तरमीम या तनरीख ना करें तथा मौके की स्थिति दावे के निस्तारण तक यथावत बनाये रखें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है।

    - उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार खण्डार को विधि विरूद्ध तरीके से कपोल कल्पित तथ्य अंकित कर पक्षकार बनाया है। जिसकी कोई सत्यता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना न्यायहित में परमावश्यक है।

    - मूल खसरा नम्बर 8 का कुल रकवा 132 बीघा 06 बिस्वा बांके ग्राम छाण में स्थित है जिसके कई उप खसरे है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से रकवा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारान की खातेदारी की भूमि है तथा रकवा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी दर्ज है तथा रकवा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है तथा रकवा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मदरसे के नाम दर्ज है एवं रकवा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि सरकारी चारागाह भूमि रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें से उक्त सरकारी चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1374/8 रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1374/8 रकवा 20 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह बांके ग्राम छाण में स्थित भूमि में से रकवा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि विधिवत रूप से 132 के. वी. सब स्टेशन बहरावण्डा खुर्द को आवन्टन की जा चुकी है तथा उक्त भूमि का विधि अनुसार आवन्टन कर उक्त रकवा [illegible] 7 बिस्वा की विधि अनुसार तरमीम कर रेवन्यू रिकॉर्ड नक्शे व जमाबन्दी में [illegible] अमल कर दिया गया है। उक्त भूमि से वादी का कोई संबंध व वास्ता नहीं है प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की आड में सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है जिसका प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

- प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी (राज्य सरकार) के विरूद्ध पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस देना अनिवार्य था जो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नहीं दिया गया। नोटिस के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

- उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1374/8 रकवा 20 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह बांके ग्राम छाण में स्थित भूमि राजकीय भूमि है तथा राज्य सरकार का हित निहीत है। इसलिए उक्त सरकारी भूमि पर किसी प्रकार के कब्रिस्थान वर्ग० होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त सरकारी भूमि में से रकवा 11 बीघा 17 बिरवा भूमि राज्य सरकार के हितार्थ 132 के. वी. सब स्टेशन हेतु कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश पत्र क्रमांक विद्युत/राजस्व /24/4999 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा आवन्टन की जा चुकी है तथा उक्त आवंटित भूमि की विधिवत रूप से रेवेन्यु रिकॉर्ड में तरमीम की जा चुकी है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी की कोई किसी प्रकार की बाउन्डरी, तारबन्दी व कब्रिस्थान वगै0 स्थित नहीं है।

- मुताबिक रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम छाण तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर सम्वत् 2012 से 2015 में आराजी खसरा नम्बर 08 रकवा 132 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजड, दोयम दर्ज है तथा सम्वत् 2016 से 2019 आराजी खसरा नम्बर 08 रकवा 132 बीघा 06 बिस्वा किस्म सिवायचक, बंजड, सोयम दर्ज है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 08 रकवा 132 बीघा 06 बिस्वा किस्म सिवायचक, बंजड, सोयम में से जरिये नामान्तरण संख्या 117 के अनुसार रकवा 94 बीघा 03 बिस्वा भूमि तहसीलदार मुताबिक रेवेन्यु रिकॉर्ड चारागाह में दर्ज है। उक्त भूमि सम्तव् 2012 से मुताबिक रेवेन्यु रिकॉर्ड सरकारी भूमि दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक रेवेन्यु रिकॉर्ड कब्रिस्तान वगै0 के नाम दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है ना हि उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार है। प्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। जिसका प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

- प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना वाद कारण के मियाद बाहर पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही 132 के. वी. सब स्टेशन के लिए आवंटित की जा चुकी है तथा उक्त आवंटित भूमि रकवा 11 बीघा 17 बिस्वा की विधिवत रूप से विधि अनुसार तरमीम की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की आड में माननीय न्यायालय से कोई किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

- प्राईमा फँसाई केस सुख सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी (राज्य सरकार) के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। प्रार्थी के पक्ष में कतई साबित नहीं है ।
- अतः जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की ओर से पेश कर श्रीमान जी निवेदन है कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में हर्जे खर्चे खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ग्राम छाण का स्थायी निवासी है प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1460/8 रकबा 1 बीघा बारानी 3 जो खाता संख्या पुराना 519 तथा खाता संख्या नया 525 में दर्ज है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 149/8 रकबा 1 बीघा बारानी 3 वाके ग्राम छाण जो खाता संख्या 136 तथा नया 136 में दर्ज है। जिसका प्रार्थी खातेदार एवम् काबिज चला आ रहा हैं। मूल खसरा नं0 8 कुल रकबा 132 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम छाण में है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारान की खातेदारी की भूमि है, 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी भूमि है, 36 बीघा 3 बिस्वा भूमि वन विभाग की भूमि है, 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मदरसे की भूमि है तथा 20 बीघा13 बिस्वा भूमि चरागाह है जिसमें कब्रिस्तान, मजारात एवम् मकबरे बने हुये है मौके पर चरागाह भूमि किसी भी स्थान पर खाली नही है फिर भी अप्रार्थी द्वारा अपनी हठधर्मिता अपनाते हुये प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिये विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र केमद नं0 3 में अंकित आराजीयात के कब्जे काश्त में विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत ना तो स्वयं करें ना ही अपने कर्मचारियों से ऐसा करावें । तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात की तारफेन्सिग को यथावत रहने दें तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नक्शा ट्रेस शीट में दावे के निस्तारण तक किसी भी प्रकार की तरमीम या तनसीख ना करें तथा मौके की स्थिति दावे के निस्तारण तक यथावत बनाये रखें।

4. अप्रार्थीगण वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि खसरा नम्बर 1374/8 रकवा 20 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह बांके ग्राम छाण में स्थित भूमि [illegible] 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि विधिवत रूप से 132 के.वी. सब स्टेशन [illegible] को [illegible] जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश पत्र क्रमांक विद्युत/राजस्व/24/499 [illegible] 28.08.2024 के द्वारा आवंटन की जा चुकी है तथा उक्त आवंटित भूमि की विधिव[illegible] रूप से रेवेन्यु रिकॉर्ड में तरमीम की जा जुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी (राज्य सरकार) के विरूद्ध पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस देना अनिवार्य था जो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नहीं दिया गया। उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

आराजी खसरा नम्बर 1374/8 रकवा 20 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह बांके ग्राम छाण में स्थित भूमि राजकीय भूमि है तथा राज्य सरकार का हित निहीत है। उक्त आवटित भूमि पर प्रार्थी की कोई किसी प्रकार की बाउन्डरी, तारबन्दी स्थित नहीं है। प्राईमा फँसाई केश सुख सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी (राज्य सरकार) के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। प्रार्थी के पक्ष में कतई साबित नहीं है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की ओर से पेश कर श्रीमान जी निवेदन है कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में हर्जे खर्चे खारिज फरमाने की कृपा करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मूल खसरा नम्बर 8 का कुल रकबा 132 बीघा 6 बिस्वा है जिसके कई उप खसरे है। जिनमें से खसरा नम्बर 1374/8 रकबा 20–13 बीघा किस्म चरागाह राजकीय भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 3435 की छायाप्रति अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1374/8 मे से 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि 132 केवी सब स्टेशन बहरावण्डा खुर्द हेतु दिनांक 28.08.2024 को आंवटित की गई एवं नामान्तकरण दर्ज किये जाने की स्वीकृति दिनांक 23.12.2024 को दी गई। इससे स्पष्ट है कि उक्त आंवटन व उसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही किया जा चुका है। उक्त आंवटन के आधार पर विद्युत विभाग आवश्यक पक्षकार प्रतित होते है। किन्तु प्रार्थी द्वारा इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा तार फेन्सिंग को यथावत रहने देने का अनुतोष चाहा गया किन्तु प्रार्थी द्वारा मौके पर तार फेन्सिंग किस जगह पर की गई है यह प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और ना ही उक्त का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन है। जबकि अप्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से आंवटन पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में विधि अनुसार तरमीम पूर्ण करने का तर्क किया है। अप्रार्थी (राज्य सरकार) भी मूल खसरा नम्बर 8 के उपखसरों में रिकॉर्डेड खातेदार है इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर विधिवत रूप से कार्यवाही नहीं करने हेतु पाबन्द करवाने के अधिकारी प्रथम दृष्टया प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन नहीं होना पाया गया है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक ....24/3/26.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.03.27 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते